

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला

मुकाम खाजूवाला

रूपाराम वगैरह

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा :-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 168 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र का संक्षिप्त सार इसप्रकार से है कि प्रार्थी रूपाराम पुत्र भैराराम जाति मेघवाल निवासी चक 8 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर के चक 8 केजेडी ए मु0नं0 62/60 के किला नं0 11,12,13 प्रत्येक में 0.0759 है0 इसप्रकार कुल 3 किला में 0.2277 है0 भूमि वास्ते रास्ता दिनांक 23.05.22 को समर्पण की गई थी किन्तु तहसीलदार खाजूवाला अपने पत्रांक 2115-2117 दिनांक 23.05.22 द्वारा उक्त त्रुटिपूर्ण उक्त रकबा गैर मुमकिन रास्ता ना दर्ज करके रकबा राज घोषित कर दिया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा समर्पित की गई भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश करने का निवेदन किया है।</p> <p>पत्रावली सर्वप्रथम दर्ज रजिस्टर की गई। तहसीलदार रिपोर्ट अवलोकन अनुसार चक 8 केजेडी ए मु0नं0 62/60 के किला नं0 11/1, 12/1, 13/1 प्रत्येक में 0.0759 कुल 0.2277 है0 भूमि अराजीराज दर्ज रिकॉर्ड है एवं मौके पर उक्त भूमि वास्ते हेतु उपयोग में ली जा रही है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं उक्त वांछित रास्ता भूमि जो वर्तमान में अराजीराज है, वह मेरी खातेदारी भूमि में से ही दर्ज हुई है इसलिए रास्ता के बदले प्रतिफल देय नहीं है इसलिए उक्त रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया है।</p>	

	<p>पत्रावली व तहसीलदार रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थनापत्र धारा 251 ए आरटीएक्ट व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त प्रावधानों के आधार पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं चक 8 केजेडी ए मु0नं0 62/60 के किला नं0 11/1, 12/1, 13/1 प्रत्येक में 0.0759 है0 कुल 0.2277 है0 रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकन का आदेश किया जाता है। तहसीलदार खाजूवाला इस रास्ता के रकबे को गैरमुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिलदफ़तर हो।</p>	
--	---	--